108/2016 जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 108/2016 अनवानी तरसेम लाल पुत्र रूपलाल जाति ब्राहमण निवासी 7 पीजीएम हाल आबाद वार्ड न0 10, अनूपगढ़ बनाम तहसीलदार, अनूपगढ

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री तरसेम लाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री तरसेम लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रेफरेन्स प्रकरण सं0 49/2007 स्टेट बनाम बृजलाल
2. रेफरेन्स प्रकरण सं0 52/2007 स्टेट बनाम ओमप्रकाश
3. रेफरेन्स प्रकरण सं0 53/2007 स्टेट बनाम कृष्णलाल

उक्त तीनो रेफरेन्स के निर्णय के विरूद्ध आपके पत्र दिनांक 16.03.2016 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट प्रस्तुत की है

आपके पत्र मुताबिक उक्त तीनों रिट के नम्बर व ता0 पेशी से अवगत कराया जाऐ ताकि आपके पत्र अनुसार पक्षकार मुकदमा बना जा सके।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.04.16 में चाही गई सूचना में प्रस्तुत रिट नम्बर मांगे गये थे किन्तु तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 211 दिनांक 29.04.16 के प्रकाश में कोई प्रत्युउतर नही दिया है।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ने अपने पत्र सं0 211 दिनांक 29.04.2016 से प्रार्थी को सूचित किया गया है कि आप द्वारा रेफरेन्स प्रकरण सं0 49/07 स्टेट बनाम बृजलाल, रेफरेन्स प्रकरण सं0 52/07 स्टेट बनाम ओमप्रकाश, रेफरेन्स प्रकरण सं0 53/07 स्टेट बनाम कृष्णलाल प्रकरणो में सहवन से आपका पत्रांक 2750 दिनांक 16.03.2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर होना बताया गया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर है। उक्त प्रकरणो में प्रकरण सं0 49/07 स्टेट बनाम बृजलाल में निर्ण 19.01.2015, प्रकरण सं0 52/07 स्टेट बनाम ओमप्रकाश का निर्णय 23.02.07 व प्रकरण सं0 53/07 स्टेट बनाम कृष्णलाल में निर्णय 20.07.2010 को हो चुका है जिसके निर्णय की वर्तमान स्थिति की सूचना आप संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 406 दिनांक 26.09.2016 प्रस्तुत किया है कि रेफरेन्स प्रकरण सं0 49/07 स्टेट बनाम बृजलाल, 52/07 स्टेट बनाम ओमप्रकाश व 53/07 स्टेट बनाम कृष्णलाल उक्त तीनो रेफरेन्स प्रकरणो में रिटस के निर्णय की सूचना परिवादी तरसेम लाल को उनके कार्यालय के पत्र सं0 327 दिनांक 31.08.2016 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ ने पत्र सं0 327 दिनांक 31.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नुसार सूचित किया गया है:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त रेफरेन्स प्रकरणो में एस.बी. सी.रिट संख्या 6268/2011 स्टेट बनाम कृष्णलाल व अन्य, 6269/2011 स्टेट बनाम बृजलाल व अन्यच, 6270/2011 स्टेट बनाम ओमप्रकाश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिकांए दायर की गयी थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 20.07.2011 द्वारा रिट याचिकाएं खारिज फरमाई जा चुकी है। सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

हालांकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक रूप में थी फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना ढूंढकर, तैयार कर उक्तानुसार अपीलार्थी को दी जा चुकी है। इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

711-712 31/03/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर